



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938

No. 758]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.आ. 846(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चालक को अपवर्जित करते हुए, तेरह या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली बसों के विद्यमान मॉडलों को तारीख 30 जून, 2017 तक या अगले आदेश तक, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम, 125ग के उपनियम (1) के लागू होने से, छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. आर. टी-11028/02/2013-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

S.O. 846(E).—In exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the existing models of buses with seating capacity of 13 or more passengers excluding driver from the applicability of sub-rule (1) of rule 125C of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 up to 30th June, 2017 or until further orders.

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL].

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

1439 GI/2017